न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय घासोली)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
17/19	26.8'19.	30.11.21

<u>उनवान</u>

1. रहीस पुत्र श्री छुटमल जाति मेव निवासी घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान। :–प्रार्थी:–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब(लैण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर प्रान्त राजस्थान। :–अप्रार्थी:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट.

:–निर्णय:–

आज पत्रावली प्रशासन गावो के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:– आराजी ख0न0 2296 रकबा 1.10 हे0 का 1/2 भाग, 1850/2507 रकबा 0.15, 2291/2509 रकबा 0.15, 2305 रकबा 1.10, 2306 रकबा 1.09, 2308/2511 रकबा 1.02, 2379/2514 रकबा 0.16, 2382/2517 रकबा 0.10, 2380/2515 रकबा 0.16, 2383/2519 रकबा 0.09, 2387/2522 रकबा 0.16, 2388/2524 रकबा 0.04, 2389/2525 रकबा 0.16, 2390/2527 रकबा 0.10, 2391/2526 रकबा 0.11 हे0 किता 14 रकबा 10.1700 हे0 का 1/2 भाग एवं खाता संख्या–421 में वर्णित आराजी ख0न0 1840 रकबा 1.02, 1841 रकबा 1.03, 1844 रकबा 1.00, 1845 रकबा 1.00 किता 4 रकबा 4.05 हे0 का 1/2 भाग निस्फ हिस्सा एवं हाल आराजी ख0न0–4/1052 रकबा 0.12, 46/1054 रकबा 1.08, 49/1059 रकबा 0.19, 50/1057 रकबा 0.14, 51/1061 रकबा 0.03, हे0 किता 05 रकबा 3.16 हे0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। नकल जमाबंदी हाल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है।

उक्त वर्णित आराजी मिन प्रार्थी के स्वर्गीय पिताजी श्री छुटमल पुत्र श्री धोताली मेंव की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। प्रार्थी के पिताजी के देहान्त के बाद छुटमल की विरासत का इन्तकाल सं0 2937 दिनांक 22.8.2005 में प्रार्थी का सही नाम रहीस दर्ज किया गया था। इन्तकाल दर्ज होने के बाद प्रार्थी की माताजी व उसकी बहिनो द्वारा उक्त आराजी का अपना सालिम हक हिस्सा मिन प्रार्थी व प्रार्थी के अन्य भाईयो के नाम हक व त्याग कर दिया जिसका हक त्याग दिनांक 08.6.2005 को क्रम सं0 2005000971 पर उपपंजियक कार्यालय किशनगढबास में पंजीबद्व किया गया है, जिसका विरासत हक त्याग

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पत्र में प्रार्थी का नाम रहीस दर्ज किया गया है । किन्तु राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमा0 आदि में प्रार्थी को गॉव में रहीस के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किसी स्थान पर रहीम खां व किसी स्थान पर रहीम व किसी स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रहीस दर्ज कर दिया है, जिसको दुरूस्त करवाकर अपने समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी आदि में अपना नाम रहीस दर्ज करवाना चाहता है। जो दुरूस्त काबिल ओर न्यायालय श्रीमान है।

प्रार्थी दिनांक 22.8.2019 को तहसीलदार साहब से मिला ओर प्रार्थी ने अपने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया तो तहसीलदार साहब किशनगढबास ने प्रार्थी को उनके राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज रहता है तो प्रार्थी के अधिकारो पर कुठारागात होगा तथा उनको अजहद हानि होगी, तथा प्रार्थी को अपने समस्त राजस्व संबधी कार्य करने में काफी परेशानियो का सामना करना पडेगा। जिसके कारण प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी के समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयात आदि में प्रार्थी का नाम रहीस दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना, पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी का जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सूचना उपरान्त उपस्थित नही ओर नाही जवाब प्रस्तुत किया। आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित । दोनो को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात इंतकाल सं0 2937 दिनांक 22.8.05 एव दस्तावेज रिलिज डीड एवं हक व त्याग दिनांक 08.6.2005 को क्रम सं0 2005000971 पर उपपंजियक कार्यालय किशनगढबास में पंजीबद्व किया गया है, जिसमे प्रार्थी का नाम रहीस दर्ज रिकार्ड दर्ज किया गया है, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम रहीस दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानून एवं न्यायसंगत है।

अखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 2296 रकबा 1.10 हे0 का 1/2भाग, 1850/2507 रकबा 0.15, 2291/2509 रकबा 0.15, 2305 रकबा 1.10, 2306 रकबा 1.09, 2308/2511 रकबा 1.02, 2379/2514 रकबा 0.16, 2382/2517 रकबा 0.10, 2380/2515 रकबा 0.16, 2383/2519 रकबा 0.09, 2387/2522 रकबा 0.16,2388/2524 रकबा 0.04, 2389 /2525 रकबा 0.16, 2390/2527 रकबा 0.10, 2391/2526 रकबा 0.11 हे0 किता 14 रकबा 10.1700 हे0 का 1/2 भाग एवं खाता संख्या–421 में वर्णित आराजी ख0न0 1840 रकबा 1.02, 1841 रकबा 1.03, 1844 रकबा 1.00, 1845 रकबा 1.00 किता 4 रकबा 4.05 हे0 का 1/2 भाग निस्फ हिस्सा एवं हाल आराजी ख0न0–4/1052 रकबा 0.12, 46/1054 रकबा 1.08, 49/1059 रकबा 0.19, 50/1057 रकबा 0.14, 51/1061 रकबा 0.03, हे0 किता 05 रकबा 3.16 हे0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थी का नाम **रहीम** की जगह **रहीस उर्फ रहीम** किया जावे। राजस्व रिकार्ड में तदनानुसार अमल दरामद हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार है।निर्णय सरे आम सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)